FORM No. III
(देखें अनुच्छेद)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

संस्थित दिनांक : 06/11/2025

प्र. सं. 358 /2025

प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

सुनवाई

[illegible]

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/11/2025	ग्रामीण सेवा शिविर में प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटि को दुरुस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। विवादित प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की जाकर बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 12/11/2025 को पेश की हो।	
12/11/2025	पत्रावली पेश हुई। विवादित प्रकरण में प्रतिवादी/पेशकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी व पेशकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ना तो ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में भू-प्रबंध विभाग के सर्वे-रिसर्वे के दौरान या फर्द बदर बनाते समय या नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी की जाति में कोई टाईपिंग या लिपिकीय त्रुटि गई हो और ना ही कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया है जिससे जाति "बलाई" एवं जाति "मेहर" दोनो समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होना साबित होता है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] की जाकर रजिस्टर में खारजा जमाया जावे। (दिनेश कुमार मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिड़ावा पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner